अनवान तेजप्रताप सिंह बनाम अवनीत कौर वगैरह
वाद मुकदमा नं. 42 / 2023

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – संजय कुमार अग्रवाल, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 42 / 2023

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

तेजप्रताप सिंह पुत्र श्री बलराज सिंह जाति जटसिख निवासी 3 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

.... वादी

बनाम

1. अवनीत कौर पुत्री श्री सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 19 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. किरणजीत सिंह पुत्र श्री जगमोहन सिंह जाति जटसिख निवासी 19 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. गुरविन्द्र कौर पत्नी श्री इन्द्रजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 19 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. जसरीन कौर पुत्री श्री सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 19 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. परमपाल सिंह पुत्र श्री इन्द्रजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 19 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. प्रवीण कौर पुत्री बलवीर कौर जाति जटसिख निवासी 19 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
7. मनप्रताप सिंह पुत्र श्री सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 19 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
8. रूपिन्द्र कौर पुत्री श्री इन्द्रजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 19 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
9. राजदीप सिंह पुत्र श्री बलवीर कौर जाति जटसिख निवासी 19 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
10. शुभप्रीत कौर पत्नी श्री सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 19 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
11. हरपाल सिंह पुत्र श्री गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी 19 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
12. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:50:39 IST
Reason: SelfAttested

... प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थित– अधिवक्ता श्रीसंजय जनवेजा (वादी)
प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 11 स्व्यं उपस्थित।
पैरोकार राज (प्रति.–28)

–:: निर्णय ::–

दिनांकः–03.01.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 3 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 123/27 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2070–2073) मुरब्बा नम्बर 48 की कुल 0.757 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। जिसमें से वादी के नाम से 559 / 757 हिस्सा यानि 0.559 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज है तथा शेष कृषि भूमि प्रतिवादीगण के नाम से सयुंक्त खाता में दर्ज है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। वादी ने उक्त भूमि, उक्त भूमि के पूर्व स्वामियों सुखवीर कौर व भरपूर सिंह से जरिये बैयनामा खरीद की हुई है। उक्त भूमि के पूर्व स्वामियों द्वारा अर्सा दराज पूर्व उक्त भूमि का घरू बंटवारा नामा अन्य सहखातेदारान के साथ किया हुआ था तथा अर्सा दराज से उक्त भूमि में से किला नम्बर 17 व 18 (सालम) व किला नम्बर 13 की पश्चिम दिशा में से 0.053 हैक्टेयर रकबा का कब्जा घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार उक्त भूमि के पूर्व स्वामियों के पास चला आ रहा था तथा उन्होंने वादी को. वरवक्त बैयनामा किला नम्बर 13 की पश्चिम दिशा में से 0.053 हैक्टेयर व किला नम्बर 17 व 18 की 0.506 हैक्टेयर कुल 0.559 हैक्टेयर कृषि भूमि का कब्जा संभलवा दिया था तथा बैयनामा से आज तक वादी उक्त किलाजात पर काबिज चला आ रहा है तथा मौके पर वादी की फसलें खड़ी है। वादी ने बड़ी मेहनत करके उक्त रकबा को काश्त योग्य बनाया है और उक्त भूमि में काफी धन खर्च करके सुधार कार्य करवाये है। वादी एक पढ़ा लिखा व अग्रणी काश्तकार है जो उक्त भूमि में विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उन्नत खेती करना चाहता है तथा अपने हिस्सा की भूमि में और अधिक सुधार कार्य करवाना चाहता है । मगर राजस्व रिकार्ड में भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा मामला लगान अदायगी पानी बारी के समय आदि को लेकर विवाद बना रहता है, इसलिए वादी उक्त वर्णित भूमि का कब्जानुसार बंटवारा करवाकर राजस्व रिकार्ड में किलावाईज दर्ज करवाने व अलग खाता कायम करवाने का अधिकारी है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को सहमति से उक्त भूमि का किला विभाजन घरू बंटवारा अनुसार करवाने के लिए कई बार आग्रह किया है, पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहें, दिनांक 01.11.2022 को उन्होने सहमति से खाता विभाजन करने से साफ इन्कार कर दिया, यही वाद कारण है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी [illegible] होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, तथा उसे पक्षकार बनाया गया है। अतः वा[illegible]कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी[illegible]

(1) यह कि वाद पत्र में वर्णित [illegible] भूमि चक 3 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 123/[illegible] (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2070–2073) मुरब्बा नम्बर 48 की कुल 0.757 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:50:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

भूमि के किला विभाजन की डिक्री घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार पारित की जाकर वादी को चक 3 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 123/27 का मुरब्बा नम्बर 48 का किला नम्बर 13 की पश्चिम दिशा में से 0.053 हैक्टेयर व किला नम्बर 17 व 18 की 0.506 हैक्टेयर कुल 0.559 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त रकबा राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम से दर्ज करवाया जावे।

(2) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के सम्मन पर विधिवत तामील होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के विरूद्ध दिनांक 17.08.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जरिए मुख्तयारआम हरजीत सिंह प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया जिस पर वकील वादी के अनापत्ति जाहिर करने पर प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध जारी एकपक्षीय आदेश दिनांक 17.08.2023 प्रतिवादी संख्या 2 की हद तक निरस्त किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जरिए मुख्तयार आम हरजीत सिंह के राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उपरोक्त अनवान के प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर मौजूज व्यक्तियों ने प्रथम पक्ष वादी एवं द्वितीय पक्ष प्रतिवादी संख्या 2 का आपस में राजीनामा करवा दिया है । प्रतिवादी संख्या 2 उक्त रकबा में से अपने हक वा हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में करता है तथा कब्जा कालान्तर से ही वादी के पास चला आ रहा है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को चक 3 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 123/27 के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 13 में से 0.089 हैक्टेयर भूमि (किला नम्बर 18 के साथ चिपता भाग), किला नम्बर 17 (0.253 है0) व 18.253 है0) कुल 0.595 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त रकबा वादी के नाम से किलावाईज दर्ज किया जावे तथा वादी का अलग खाता कायम किया जावे तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलगजन किया जावे। लिहाजा यह राजीनामा दोनों पक्षों ने अपनी रजामन्दी बिना किसी दबाव के तहरीर करवाया है, ताकि सनद रहें ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 ग्राम 3 वाई, पटवार हल्का 3 वाई, भू.अ.नि. क्षेत्र कालियां खाता संख्या 123/27 की प्रति पेश की गई। वादी द्वारा दस्तावेज पंजीकृत बैयनामा दिनांक 27.02.2012 एवम् पंजीकृत बैयनामा दिनांक 07.02.2018 की प्रतियां पेश की गई। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जरिए राजीनामा अपने हिस्से का हक परित्याग वादी के पक्ष में किया गया है इसलिए जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 ग्राम 3 वाई, पटवार हल्का 3 वाई, भू.अ.नि. क्षेत्र कालियां खाता संख्या 123/27 में अतः किरणजीत सिंह पुत्र जगमोहन सिंह प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 36/757 का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 किरणजीत सिंह पुत्र जगमोहनसिंह का नाम कलमजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रस्तुत जमाबंदी एवम प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खा[illegible] आराजी है जिसमें वादी अपना खाता प्रथक करवाने के अधिकारी हैं। अतः वा[illegible] वादी [illegible]मिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:50:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश क्रमांक–रा.म./न्याय/स्था./प–51/2008/विविध/ 10546 दिनांक 05.10.2020 के प्रावधानों एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 ग्राम 3 वाई, पटवार हल्का 3 वाई, भू.अ.नि. क्षेत्र कालियां खाता संख्या 123/27 कृषि भूमि में वादी की भूमि का हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा वादी के हिस्सा में समल्लित करते हुए प्रतिवादी का नाम कलमजन कर वादी का हिस्सा एवम् कब्जा अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करे। वाद व्यय पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। यथा प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय की एक प्रति तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित हो।

प्राथमिक निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 03.01.2024 को जारी किया गया।

(संजय कुमार अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:50:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner